

न्यायालय-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कं.-1616 / 2003
 संस्थित दिनांक-03.07.2003
फाईलिंग क.2345030000102003

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना मलाजखण्ड,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

1-विवेक पंवार पिता प्रतापसिंह पंवार, उम्र-41 वर्ष,
 निवासी-वार्ड नंबर-7 बैहर, थाना बैहर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-राकेश शर्मा पिता गौरीशंकर शर्मा उम्र-68 वर्ष,
 निवासी-वार्ड नंबर-6 बैहर, थाना बैहर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

3-अनिता पंवार पुत्री विश्राम बिसेन, उम्र-65 वर्ष,
 निवासी-वार्ड नंबर-7 बैहर, थाना बैहर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-17/01/2017 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-469 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-03.03.2003 को बैहर, अंतर्गत थाना बैहर में समलीबाई व बैसाकिनबाई का मिथ्या शपथपत्र धोखा देकर बनवाया कि थाना मलाजखण्ड में उनके साथ दिनांक-25.02.2003 को पुलिस कर्मियों ने बलात्कार किया और इस आशय से शपथपत्र की कूटरचना की कि थाना मलाजखण्ड में कार्यरत पुलिसकर्मियों की ख्याति की अपहानि करें और उसका इस प्रयोजन से उपयोग किया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी बैसाखिनबाई अनुसूचित जनजाति की सदस्य हैं, जो ग्राम सीतापुर कुरुह, अंतर्गत थाना मलाजखण्ड की निवासी है। फरियादी के भाई छोटेलाल को थाना मलाजखण्ड पुलिस द्वारा प्रकरण क्रमांक-711/94 में जारी गैर म्यादी वारंट के पालन में दिनांक-25.07.2003 को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी छोटेलाल की बहन बैसाखिनबाई व पत्नी समलीबाई को दिनांक-03.03.2003 को आरोपी विवेक पंवार, अनिता पंवार द्वारा बैहर यह कहकर लाया

गया कि आरोपी छोटेलाल की जमानत की लिखा-पट्टी करना है और उसे 50,000 /—रुपये भी दिलवाएंगे। आरोपीगण ने बैसाखिनबाई व समलीबाई के अनपढ़ होने का लाभ उठाते हुए उनका झूठा शपथपत्र इस आशय का बनवाया कि उनके साथ थाना मलाजखण्ड के सात पुलिसकर्मियों ने बलात्कार किया है। आरोपीगण ने उन्हें बिना पढ़ाए व सुनाए शपथपत्र में अंगूठा लगवा लिया। उसके पश्चात् शपथपत्र पुलिस अधीक्षक बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त शिकायत की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा की गई। जांच उपरान्त कथित बलात्कार की घटना असत्य पाई गई। आरोपीगण द्वारा बैसाखिनबाई व समलीबाई का मिथ्या शपथपत्र अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तैयार करवाया गया और इस आशय की मिथ्या सूचना दी कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति कारित करने के लिए करे और क्षति कारित कार्य के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप प्रतिपादित होता है तथा कूट रचित शपथपत्र से ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूट रचना किया और आदिवासी महिला को अभित्रास तथा अपमानित किया। उपरोक्त आधार पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-20/2003, धारा-181, 182, 211, 469 एवं धारा-3(1)(11) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा मामलों की विवेचना के दौरान दस्तावेज जप्त कर अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर आरोपीगण के विरुद्ध सदर धाराओं का अपराध पाए जाने से संपूर्ण विवेचना उपरान्त यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

3— अभियोजन द्वारा यह प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता की धारा-181, 182, 469 के अंतर्गत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा-3(1)(11)के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय ने दिनांक-11.08.2003 को आदेश पारित कर आरोपीगण पर अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा-3(1)(11) का अपराध किया जाना नहीं पाया एवं आरोपीगण को उपरोक्त धारा के अपराध से उन्मोचित किया गया।

4— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-469 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के तहत किए गये अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-03.03.2003 को बैहर, अंतर्गत थाना बैहर में समलीबाई व बैसाकिनबाई का मिथ्या शपथपत्र धोखा देकर बनवाया कि थाना

मलाजखण्ड में उनके साथ दिनांक-25.02.2003 को पुलिस कर्मियों ने बलात्कार किया और इस आशय से शपथपत्र की कूटरचना की कि थाना मलाजखण्ड में कार्यरत् पुलिसकर्मियों की ख्याति की अपहानि करें और उसका इस प्रयोजन से उपयोग किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष:-

6- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी बैसाखिनबाई अ.सा.5 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी विवेक, अनिता व राकेश को जानती है। वह अपने भाई छोटेलाल से मिलने थाना गई थी, जहां उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई और न ही आरोपीगण उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर बैहर लाए थे। उसने थाने में प्रदर्श पी-5 का कागज लिखकर दिया था। पुलिस ने जाति प्रमाणपत्र जप्त नहीं किया था, परंतु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 में उसके हस्ताक्षर हैं या नहीं वह नहीं बता सकती। शपथपत्र प्रदर्श पी-7 किसलिए तैयार किया गया था, वह नहीं बता सकती। साक्षी ने प्रदर्श पी-8 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया है। साक्षी ने कहा है कि उसे किसी ने धमकी नहीं दी थी कि उसे बयान देना है। प्रदर्श पी-1, 2, 9 अनुसार बयान कार्यवाही उससे नहीं करवाई गई थी।

7- अभियोजन साक्षी नैनसिंह अ.सा.3 ने कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। उसके सामने आरोपीगण कमलीबाई, बैसाखिनबाई का शपथपत्र तैयार नहीं किया गया था। उसे आरोपीगण द्वारा झूठा शपथपत्र तैयार किये जाने की कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिसवालों को कोई बयान नहीं दिया था और न ही पुलिसवालों ने छोटेलाल को पकड़ा था, इस बात की उसे जानकारी नहीं है। उसके सामने कोई भी व्यक्ति जीप में नहीं आया था और न ही उसकी बहन को जीप में बैठाकर ले गए थे। वह न्यायालय परिसर नहीं आया था और न ही किसी वकील के पास गया था। उसे बैसाखिनबाई की ईज्जत लूटने संबंधी कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया है।

8- मिलापसिंह अ.सा.4 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। आरोपीगण ने कमलीबाई, बैसाखिनबाई का कोई कागज लिखवाया था, इस बात की उसे जानकारी नहीं है। आरोपीगण बैसाखिनबाई को जीप में बैठाकर ले गए थे, इस बात की भी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-4 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया है।

9- यदुनंदन अ.सा.6 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना में फरियादीगण को भी जानता है। आरोपी विवेक पंवार ने

फरियादीगण को जीप में बैठाकर कहीं ले गया था, ऐसा उसे बताया था। उसने पुलिस को कोई बयान दिया था या नहीं उसे याद नहीं है। उसे, समलीबाई, बैसाखिनबाई को थाने ले जाया गया था तथा उनके साथ बलात्कार हुआ था, यह बात नहीं बताई गई है। फरियादीगण का झूठा प्रकरण तैयार किया गया था, यह बात भी नहीं बताई गई है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि वह आरोपीगण को नाम से जानता है, परंतु उन्हें पहचानता नहीं है।

10— ढालसिंह अ.सा.7 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी विवेक पंवार, राकेश शर्मा एवं अनिता पंवार को नहीं जानता। वह समलीबाई, बैसाखिनबाई को जानता है। फरियादीगण से झूठी रिपोर्ट करवाए जाने के विषय में उसे जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था और न ही उसके सामने नोटरी द्वारा कोई कागज तैयार नहीं किया गया है। उसने थाने में हस्ताक्षर किया था, किन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे, उसे ध्यान नहीं है। उसके सामने समलीबाई का शपथपत्र तैयार नहीं करवाया गया था। बैसाखिनबाई ने भी ऐसा शपथपत्र तैयार नहीं करवाया था कि मलाजखण्ड थाने में उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार हुआ था। उसे घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है।

11— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी बसंतीबाई अ.सा.8 ने कहा है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। वह आरोपीगण को नहीं जानती और न ही उन्हें देखकर पहचान सकती है। पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिये थे।

12— मुकेश गुप्ता अ.सा.9 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह 12वीं तक पढ़ा-लिखा है। लगभग 23 वर्षों से वह स्टाम्प वेंडर का काम कर रहा है। दिनांक-03.03.2003 को बैसाखिनबाई पति मिलापसिंह ने उससे एक स्टाम्प खरीदा था, जो उसके रजिस्टर के पृष्ठ क्रमांक-28 के सिरियल क्रमांक-12250 पर दर्ज किया गया था और उसने बैसाखिनबाई का अंगूठा रजिस्टर पर लगवाया था। उपरोक्त दिनांक को ही समलीबाई ने भी 50 रुपये का स्टाम्प खरीदा था, जो पृष्ठ क्रमांक-29 के सिरियल क्रमांक-12273 पर दर्ज किया गया था और उसने समलीबाई का अंगूठा रजिस्टर पर लगवाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि बैसाखिनबाई और समलीबाई ने स्वयं आकर स्टाम्प खरीदा था और उसके साथ आरोपी विवेक पंवार अथवा कोई अन्य महिला नहीं आई।

13— मकबूल अली अ.सा.10 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण एवं फरियादी को नहीं जानता। वह गाड़ी सुधारने एवं किराए पर देने का कार्य करता है। उसे किसी वाहन की जप्ती की जानकारी नहीं है। उसने अपना वाहन विजय को

चलाने दिया था और उसे विजय ने जानकारी दिया था कि गाड़ी जप्त हो गई है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि दिनांक-03.03.2003 को आरोपी विवेक पंवार उसके गैरेज में आया था और उसने किराए की गाड़ी मांगी थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-8 पुलिस को लेख नहीं कराना व्यक्त किया है।

14- रामशंकर अ.सा.1 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। दिनांक-21.04.2003 को तहसीलदार कार्यालय बैहर में वह भृत्य के पद पर कार्यरत् था। उसके सामने तहसीलदार बैहर द्वारा विश्राम गृह बैहर में पहचान कार्यवाही करवाई गई थी। उसे यह याद नहीं है कि मूंगाबाई व मिलाप बैगा एवं आरोपी विवेक पंवार को पहचाना था या नहीं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि वह नहीं बता सकता कि किसने किसको पहचाना था। साक्षी ने कहा है कि उसने किसी भी कागजों पर हस्ताक्षर नहीं किया। साक्षी ने कहा है कि पहचान की कार्यवाही के समय शमशेर नामक व्यक्ति भी उपस्थित था।

15- शमेश अ.सा.2 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। उसके सामने पहचान की कार्यवाही नहीं हुई थी। शिनाख्ती मेमो प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-2 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, परंतु इस प्रकार की कार्यवाही उसके सामने नहीं होना व्यक्त किया है।

16- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-469 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। यह अभियोग इस आधार पर लगाया गया है कि उन्होंने फरियादी शपथकर्ता बैसाखिनबाई का शपथपत्र जो प्रकरण में प्रदर्श पी-7 के रूप में प्रदर्श कराया गया है, पर आधारित है। प्रदर्श पी-7 के शपथपत्र में शपथकर्ता बैसाखिनबाई ने कहा है कि थाना मलाजखण्ड के सात पुलिसकर्मियों ने दिनांक-25.02.2003 को उसके साथ बलात्कार किया था। उपरोक्त संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच की गई और जांच में यह पाया गया कि आरोपीगण द्वारा समलीबाई व बैसाखिनबाई का मिथ्या शपथपत्र उन्हें धोखा देकर बनवाया और इस आशय से शपथपत्र का प्रयोग किया गया कि थाना मलाजखण्ड में कार्यरत् पुलिसकर्मियों की ख्याति की अपहानि हो। शपथपत्र के विषय में शपथकर्ता बैसाखिनबाई ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह कहा है कि थाने में उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। शपथपत्र प्रदर्श पी-7 के दस्तावेज किसलिए तैयार किये गए थे, इसकी उसे जानकारी नहीं है, क्योंकि वह पढ़ी-लिखी नहीं है। साक्षी नैनसिंह अ.सा.3 ने कहा है कि आरोपीगण द्वारा झूठा शपथपत्र तैयार किये जाने के विषय में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसके सामने उसकी बहन बैसाखिनबाई को जीप में

बैठाकर ले जाने वाली बात की भी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी मिलापसिंह अ.सा.4 ने भी यह कहा है कि घटना के विषय में उसे कोई जानकारी नहीं है और उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। साक्षी यदुनंदन अ.सा.6 ने कहा है कि समलीबाई का शपथपत्र किस वकील द्वारा तैयार किया गया था, इस बात की उसे जानकारी नहीं है। साक्षी लालसिंह अ.सा.7 का कहना है कि उसके सामने नोटरी से कोई भी दस्तावेज तैयार नहीं किये गए थे। उसने थाने में हस्ताक्षर किये थे, परंतु किस कागज पर हस्ताक्षर किये थे, इसकी उसे जानकारी नहीं है। प्रदर्श पी-7 शपथपत्र पर पहचानकर्ता के रूप में यदुनंदनसिंह अ.सा.6 ने हस्ताक्षर किये थे। उसने अपने न्यायालयीन परीक्षण में इस बात से इंकार किया है कि उसे फरियादीगण ने बताया था कि उनका झूठा शपथपत्र तैयार किया गया था।

17— अभियोजन साक्षी बसंतीबाई अ.सा.8, मकबूल अली अ.सा.10, सुरक्षालाल अ.सा.11, शमशेर अ.सा.2 ने अभियोजन कहानी के समर्थन में अपने न्यायालयीन परीक्षण में कुछ भी नहीं कहा है। प्रकरण में अभियोजन साक्षी मुकेश गुप्ता अ.सा.9 ने यह कहा है कि उसने दिनांक-03.03.2003 को बैसाखिनबाई को स्टाम्प विक्रय किया था, जिसका इन्द्राज उसने अपने रजिस्टर के पृष्ठ क्रमांक-28 के सिरियल क्रमांक-12250 पर दर्ज किया गया था और उसने बैसाखिनबाई का अंगूठा रजिस्टर पर लगवाया था। उपरोक्त दिनांक को ही समलीबाई ने भी 50 रुपये का स्टाम्प खरीदा था, जो पृष्ठ क्रमांक-29 के सिरियल क्रमांक-12273 पर दर्ज किया गया था। साक्षी का कहना है कि उसने दोनों ही महिलाओं का अंगूठा अपने रजिस्टर में लिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि बैसाखिनबाई व समलीबाई ने स्वयं आकर उससे स्टाम्प खरीदा था, आरोपीगण उसके साथ नहीं थे। जबकि बैसाखिनबाई अ.सा.5 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में इस बाबद् कोई भी कथन नहीं किये हैं कि उसके धमकी नहीं दी गई थी कि उसे किस प्रकार का बयान देना है। वस्तुतः आरोपीगण द्वारा शपथकर्ता बैसाखिनबाई व समलीबाई से झूठे शपथपत्र बनवाए गए हो, ताकि वे इस झूठे शपथपत्र का उपयोग थाना मलाजखण्ड में कार्यरत् कर्मचारियों की अपहानि करने के प्रयोजन से प्रयोग करें, किसी भी अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-469 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतः आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-469 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

18— प्रकरण में आरोपी विवेक पंवार एवं राकेश शर्मा दिनांक-07.04.2003 से दिनांक-10.04.2003 तक तथा आरोपी किरण उर्फ अनिता दिनांक-08.04.2003 से दिनांक-10.04.2003 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहें हैं। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

19— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

20— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति टाईपिंग मशीन सुपुर्ददार युवराज राहंगडाले पिता हन्नाजी राहंगडाले, निवासी—वार्ड नंबर—4 बैहर को, जप्तशुदा वाहन मार्शल जीप क्रमांक—एम.पी—22/बी—7506 मय दस्तावेजों के सुपुर्ददार मकबूल अली पिता शरीफ अली, निवासी बैहर को, जप्तशुदा वाहन मार्शल जीप क्रमांक—एम.पी—22/बी—7586 मय दस्तावेजों के सुपुर्ददार हरीश कुमार पिता जटाशंकर, निवासी नरसिंहटोला बैहर को, स्टाम्प विक्रय पंजी क्रमांक—5 सुपुर्ददार मुकेश कुमार गुप्ता को, नोटरी रजिस्टर व रसीद बुक सुपुर्ददार एस.बी. मेश्राम अधिवक्ता नोटरी बैहर को, नोटरी रजिस्टर व रसीद बुक सुपुर्ददार एल.एस. ठाकुर अधिवक्ता नोटरी को सुपुर्दनामे पर प्रदान किये गए हैं जो अपील अवधि पश्चात् उनके पक्ष में निरस्त समझा जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)